EE BDD-81

उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय-व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2006-2007

संक्षिप्त प्राक्कथन

इस पुस्तिका में लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2006-2007 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वित्तीय बजट 2006-2007 के अनुदान सं0 54, 55, 56, 57, 58 एवं 83 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लिये प्रस्तावित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में विभाग की स्थिति बताई गई है।

2- प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण तथा उनके ऊपर होने वाले व्यय के वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को यथा सम्भव संकलित करने का प्रयास किया गया है ताकि प्राविधानित धनराशि के व्यय पर अधिक प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके तथा व्यय का उपलब्धियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

प्रमुख सचिव,
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

विषय सूची

क्र0 सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	1
2	प्रशासन	2-3
3	मार्ग विकास	4
	अ- मार्ग विकास नीति	5
	ब- राष्ट्रीय मार्ग	6-9
	स- महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाए	10-16
4	भवन कार्य	17
5	बाह्य सहायता	18-19
6	अन्वेषणालय	20
7	ई – गवर्नेस	21
8	प्रशिक्षण	22
9	उत्तर प्रदेश राज्य सैतु निगम	23 से 25
10	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम	26-27
11	उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण	28-29
12	वित्तीय आवश्यकतायें	30 से 37
13	लो0नि0वि0 संगठन की संरचना(परिशिष्ट-अ)	38

भूमिका

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण, पुनः निर्माण, सुधार एवं सुदृढ़ीकरण तथा रख-रखाव का कार्य सम्पादित कराया जाता है। राज्य सरकार के कतिपय विभागों के अन्तर्गत भवनों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का दायित्व भी इसी विभाग के ऊपर है। यह विभाग उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्गो के रख-रखाव के लिये भी उत्तरदायी है। लो0नि0वि0 द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो पर निगरानी रखने एवं उच्च गुणवत्ता स्तर का कार्य सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में कुल 12 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापति कराये गये है, और प्रत्येक क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यो का उत्तर दायित्व निम्नानुसार क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं को सौंपा गया है।

क0सं0	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डल
1.	पश्चिमी	मेरठ	मेरठ, सहारनपुर
2.	उत्तर पश्चिमी	बरेली	बरेली
3.	आगरा	आगरा	आगरा
4.	मध्य	लखनऊ	लखनऊ
5.	दक्षिण मध्य	कानपुर	कानपुर
6.	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद, देवीपाटन
7.	झांसी	झांसी	झांसी, चित्रकूट धाम
8.	पूर्वी	वाराणसी	वाराणसी, मिर्जापुर
9.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर, बस्ती
10.	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़
11.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद
12.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरणः-

1. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :- प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये 1973 में इस निगम की स्थापना की गई ।
2. उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :- भवन कार्यो में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिये 1975 में इस निगम की स्थापना की गई ।
3. उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरणः- प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश के राज्य मार्गो के निजी सहयोग से विकास के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उददेश्य निजी सहभागिता के आधार पर बी0ओ0टी0 पद्वति पर मार्गो एवं सेतुओं का विकास करना है।

प्रशासन

लोक निर्माण विभाग प्रदेश का अत्यन्त पुराना एवं महत्वपूर्ण विभाग है जो कि प्रदेश के मार्ग, सेतु एवं भवन का निर्माण एवं अनुरक्षण का कार्य करता है। प्रदेश की तहसील/जनपद से मुख्यालय तक विभाग का व्यापक स्वरूप है जिसका मुखिया प्रमुख अभियन्ता होता है। विभाग के इतिहास में पहली बार तीन प्रमुख अभियन्ताओं की नियुक्ति की गई हैं -

(1) प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
(2) प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)
(3) प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क)

प्रमुख अभियन्ता स्तर से प्रदेश के अभियन्ताओं के कार्यो का समन्वय, पर्यवेक्षण तथा नीति सम्बन्धी मामलों का कार्य सम्पन्न किया जाता है। प्रमुख अभियन्ता(विकास) की सहायता के लिए मुख्य अभियन्ता मुख्यालय-1(स्तर-2), मुख्य अभियन्ता विधुत/यांत्रिक (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता रा0मा0 (स्तर-2), मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना (स्तर-2) एवं 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता (स्तर-2) के पद सृजित हैं। प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन) की सहायता के लिए मुख्य अभियन्ता भवन (स्तर-1), मुख्य अभियन्ता डास्प एवं सोडिक (स्तर-1), मुख्य अभियन्ता मुख्यालय-2 (स्तर-2), मुख्य वास्तुविद (मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के समकक्ष) एवं निदेशक अन्वेषणालय के पद सृजित हैं। प्रमुख अभियन्ता, (ग्रामीण सड़क) की सहायता के लिये मुख्य अभियन्ता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (स्तर-2) एवं मुख्य अभियन्ता परिवाद (स्तर-2) के पद सृजित हैं। लो0नि0वि0 संगठन की संरचना परिशिष्ट-अ में दर्शायी गयी है।

2. लो0नि0वि0 द्वारा कराये जाने वाले समस्त निर्माण कार्य एवं रख-रखाव के कार्य हेतु प्रदेश के जनपदों में खण्डीय कार्यालयों की स्थापना की गई है, जिनकी संख्या जनपद में चल रहे विकास कार्यो के कार्यभार एवं प्रकृति पर निर्भर रहती है।

गत तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत खण्डों एंवं वृत्तों की स्थिति निम्न प्रकार है:-

खण्डों एवं वृत्तों के प्रकार	2003-04		2004-05		2005-06	
	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त
अधिशासी						
मैदानी क्षेत्र के मार्ग तथा भवन	160	29	165	29	181	29
राष्ट्रीय मार्ग	23	04	23	04	22	04
पी0एम0जी0एस0वाई0/परियोजना/सोडिक/ विद्युत-यांत्रिक/ एस.आर.पी.-2/यू.पी. डी.ए.एस.पी. आदि	58	15	53	15	38	15
योगः-	**241**	**48**	**241**	**48**	**241**	**48**
अनाधिशासी						
सर्वेक्षण, नियोजन, परियोजना	19	05	19	05	19	05
अन्वेषण, विश्व बैंक कार्य एवं तकनीकी प्रकोष्ठ	02	01	02	01	02	01
योग :-	**21**	**06**	**21**	**06**	**21**	**06**

3. विभागीय पदों की स्थिति निम्न प्रकार है (उत्तरांचल को छोड़कर):-

पद	स्थायी	अस्थायी	योग
प्रमुख अभियन्ता,	01	02	03
मुख्य अभियन्ता स्तर-1	-	03	03
मुख्य अभियन्ता स्तर-2	7	17	24
अधीक्षण अभियन्ता	36 (सि0) 04 (वि0/यां)	49 (सि0) -	85 (सि0) 04 (वि0/यां)
अधिशासी अभियन्ता	148 (सि0) 21 (वि0/यां)	182 (सि0) 06 (वि0/यां)	330 (सि0) 27 (वि0/यां)
सहायक अभियन्ता	942 (सि0) 92 (वि0/यां)	283 (सि0) 49 (वि0/यां)	1225 (सि0) 141 (वि0/यां)
अवर अभियन्ता-	2823(सि0) 242 (वि0/यां)	968(सि0) 143(वि0/यां)	3791(सि0) 385 (वि0/यां)
मानचित्रकार	193	126	319
नियमित कर्मचारी (समूह "ग" व "घ")	20035	16568	36603
कार्यप्रभारित कर्मचारी		16897	16897
दैनिक वेतन भोगी		7558	7558
योग	**24544**	**42851**	**67395**

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गो का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रदेश में उत्तरांचल राज्य सहित सड़कों की लम्बाई केवल 15113 कि0मी0 थी जिसके सापेक्ष उत्तरांचल प्रदेश को छोड़कर अनुरक्षित मार्गो की कुल लम्बाई अब लो0नि0वि0 के पास 1,27,166, कि0मी0 है। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों की सड़कों की कुल लम्बाई 1,08,615 कि0मी0 मिलाकर प्रदेश में इस समय कुल 2.36 लाख कि0मी0 की लम्बाई में सड़कों का जाल बिछा हुआ है।

लो0नि0वि0 के स्वामित्व के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में मार्गो की स्थिति

(किलोमीटर में)

क0सं0	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2002 तक	31.3.2003 तक	31.3.2004 तक	31.3.2005 तक
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय मार्ग	4860*	4931	4931	5583
2	राज्य मार्ग	9098	9138	9138	8546
3	प्रमुख जिला मार्ग	7291	7251	7339	7274
4	अन्य जिला मार्ग	25702	5702	26015	28400
5	ग्रामीण मार्ग	67978	71041	71041	77363
	योग:-	**114929**	**118063**	**118464**	**127166**

टिप्पणी:-

1- राष्ट्रीय मार्गो की कुल लम्बाई 5583 कि0मी0 में सें 3568 कि0मी0 लम्बाई में रख-रखाव का कार्य लो0नि0वि0 द्वारा किया जा रहा है तथा शेष 2015 कि0मी0 लम्बाई में रख-रखाव का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास है।

2- (i) 5583 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग में सें 3754 कि0मी0 2 लेन चौड़ी है और शेष 1 लेन चौड़ी है।

(ii) 8546 कि0मी0 राजमार्ग मे से 3510 कि0मी0 2 लेन चौड़ी है और शेष 1 लेन चौड़ी है।

(iii) 7274 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग मे से 370 कि0मी0 2 लेन चौड़ी है और शेष 1 लेन चौड़ी है।

(iv) 28400 कि0मी0 अन्य जिला मार्ग मे से 1068 कि0मी0 2 लेन चौड़ी है और शेष 1 लेन चौड़ी है।

मार्ग विकास नीति

प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए सड़क एवं पुल निर्माण कार्य एवं इसके रखरखाव के कार्यो की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग विकास नीति वर्ष 1998 में घोषित की गयी। इस नीति के कियान्वयन से राज्य में सुचारू व्यवस्था से प्रदेश के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान की जा रही है। मार्ग विकास नीति के अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम व योजनाओं को मूर्तरूप दिया जा रहा है।

(क) ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के लिए समयबद्व कार्य योजना तैयार कर प्रदेश के एक हजार से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवो को सन् 2010 तक तथा शेष सभी गांवो को 2021 तक सर्वऋतु योग्य सड़को से जोड़ने की योजना है।

(ख) यातायात के निर्बाध गति से चलने के लिए गड्ढामुक्त मार्गो की नितान्त आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए मार्गो को गड्ढामुक्त रखने की सतत् प्रकिया को मार्ग विकास नीति में विशेष बल दिया गया है।

(ग) प्रदेश के मार्गो के समुचित अनुरक्षण के लिए मार्गो का सामयिक नवीनीकरण व यातायात की आवश्यकतानुसार मार्गो का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण आवश्यक है जिसके लिए वांछित संसाधनों में बढोत्तरी के लिए "राज्य सड़क निधि" की स्थापना की गयी है। यातायात के घनत्व के आधार पर विभिन्न मार्गो के श्रेणी के उच्चीकरण की सतत् प्रकिया भी प्रारम्भ की गयी है।

(घ) मार्गो के साथ-साथ वृहद सेतुओं का निर्माण एवं कमजोर एवं संकरे सेतुओ के स्थान पर नये सेतुओं का निर्माण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसी प्रकार रेलवे सम्पारों के स्थान पर रेल उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं का निर्माण भी यातायात के अबाध गति से चलने हेतु अत्यन्त आवश्यक है। शहरों के यातायात के लिए फ्लाई ओवर्स का निर्माण भी आवश्यक है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेतुओं, उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं व फ्लाई ओवर्स के निर्माण के लिए आवश्यक सर्वेक्षण कराकर प्राथमिकता निर्धारित करने के उपरान्त विभिन्न चरणों में इनका निर्माण कराया जायेगा।

(च) घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिए बाई पास, रिंग रोड एवं एक्सप्रेस-वेज के निर्माण में निजी क्षेत्र के निवेशकों एवं शासकीय निर्माण एजेंसीज के मध्य इक्विटी सहभागिता के आधार पर सम्बन्धित योजनाओं को बी0ओ0टी0 पद्वति से निर्माण कराने की योजना है।

(छ) मार्गो एवं सेतुओं के निर्माण हेतु नाबार्ड एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से अधिकाधिक धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त करके निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों में वृद्वि की जायेगी।

(ज) विभाग के संसाधनों में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को डबटेंलिग करके वित्तीय संसाधनों के आधार पर विस्तार किया जायेगा।

(झ) योजनाओं के सफल कियान्वयन हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रकियात्मक एवं संगठनात्मक परिवर्तन किये जायेगें जिसमें कम्प्यूटरीकरण एवं डाटा बैंक की स्थापना भी सम्मिलित है।

7	रा0मा0-24 पर किमी0 290 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
8	रा0मा0-56 पर किमी0 9 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
9	रा0मा0-56 पर किमी0 44 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
10	रा0मा0-56 किमी0 91 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
11	रा0मा0-56 किमी0 97 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
12	रा0मा0-56 किमी0 139 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
13	रा0मा0-56 किमी0 145 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..
14	रा0मा0-56 किमी0 169 में आर0ओ0बी0	प्रगति पर है	..	..	..	..

(स) सेतु निर्माण :-- भारत सरकार वित्त पोषित

क0 सं0	सेतु का नाम	फीजीबिलिटी स्टडी का कार्य	निर्माण कार्य	पूर्ण करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	4	5
1	रा0मा0-19 पर किमी0 128 में मांझीघाट सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	6/2006
2	रा0मा0-24 किमी0 432 में गोन सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	6/2006
3	रा0मा0-74 किमी0 73 में गागन सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	3/2006
4	रा0मा0-56 किमी0 46 में लोनी सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	6/2006
5	रा0मा0-93 किमी0 49 में हाथरस ब्रान्च कैनाल सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	3/2006
6	रा0मा0-76 किमी0 171 में सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	6/2006
7	रा0मा0-72-ए किमी0 3 में सेतु	पूर्ण	प्रगति पर है	3/2006
8	रा0मा0-56 किमी0 177 में पीली नदी सेतु	प्रगति पर है	..	..
9	रा0मा0-56 किमी0 202 में पीली नदी सेतु	प्रगति पर है	..	..
10	रा0मा0-74 किमी0 268 में अप्सरा सेतु	प्रगति पर है	..	..
11	रा0मा0-24 किमी0 289 में बेंगुल सेतु	प्रगति पर है	..	..

(द) राज्य सरकार के बजट से स्वीकृत कार्य :--

क0 सं0	कार्य	मद	स्वीकृत लागत (रू0 लाख में)	कार्यपूर्ण करने की लक्ष्य तिथि
1	2	3	5	4
1	रा0मा0-25 किमी0 7.90 से 11.38 तक लेपित मार्ग के दोनों ओर पक्का करने का कार्य।	राज्य सेक्टर	312.92	3/2006
2	रा0मा0-29 किमी0 2.535 से 7.600 तक दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण	राज्य सेक्टर	441.10	6/2006
3	रा0मा0-25 पर हजरतगंज चौराहे से हुसैनगंज चौराहे तक सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	राज्य सड़क निधि	286.36	3/2006
4	रा0मा0-28 पर हजरंतगंज चौराहे से सिकन्दरबाग चौराहे तक सुधार एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	राज्य सड़क निधि	128.93	3/2006

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

1. ग्रामीण मार्ग/सेतु सम्बन्धी अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने की नाबार्ड वित्त पोषित योजना

नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0-2 से 11 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नवत् है:-

क0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत कार्यो की संख्या	स्वीकृत लागत (रू.करोड़)	डिलीशन के पश्चात्		अद्यतन प्रगति	
				कार्यो की सं0	लागत (रू.करोड़)	पूर्ण कार्य (संख्या)	वित्तीय (रू.करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आर.आई.डी.एफ-2						
	मार्ग	961	151.34	820	120.26	814	130.38
	सेतु	80	120.46	74	115.34	62	145.51
2	आर.आई.डी.एफ-3						
	मार्ग	1183	111.34	1122	105.05	1122	105.03
	सेतु	25	27.45	24	26.93	19	31.33
3	आर.आई.डी.एफ-4						
	मार्ग	1849	222.45	1722	208.16	1599	224.10
	सेतु	102	126.53	85	118.56	70	112.11
4	आर.आई.डी.एफ-5						
	मार्ग	989	128.04	946	122.97	902	126.99
	सेतु	39	52.02	32	49.25	23	49.98
5	आर.आई.डी.एफ-6						
	मार्ग	1468	240.96	1363	225.00	1240	222.53
	सेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6	आर.आई.डी.एफ-7						
	मार्ग	1684	200.66	1519	179.67	1428	184.92
	सेतु	38	73.66	26	64.58	3	33.54
	योग: आर.आई.डी.एफ. 2 से 7						
	मार्ग	**8134**	**1054.79**	**7492**	**961.11**	**7105**	**993.95**
	सेतु	**284**	**400.12**	**241**	**374.66**	**177**	**372.47**
7	आर.आई.डी.एफ-10						
	मार्ग	1055	204.91	955	180.37	74	47.39
	सेतु	42	68.77	36	62.52	1	8.69
	योग : आर.आई.डी.एफ. 2 से 7 एवं 10						
	मार्ग	**9189**	**1259.70**	**8447**	**1141.48**	**7179**	**1041.34**
	सेतु	**326**	**468.89**	**277**	**437.18**	**178**	**381.16**
8	आर.आई.डी.एफ-11						
	मार्ग	709	291.88	709	291.88	-	-
	सेतु (प्रस्तावित)	147	433.00	-	-	-	-

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गई इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु इस योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाते है। इस योजनान्तर्गत आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 तक स्वीकृत कार्यो पर नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाता है। आर0आई0डी0एफ0-8 व 9 योजनान्तर्गत कोई भी मार्ग कार्य स्वीकृत नही किया गया है। वर्ष 2005-06 में आर0आई0डी0एफ0-10 व 11 योजनान्तर्गत नये मार्ग कार्य स्वीकृत किये गये है। इन दोनों योजनाओं में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है। वर्ष 2005-06 के बजट में आर0आई0डी0एफ0-2 से 11 येाजना के मार्ग कार्यो हेतु रू0 108.24 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में आर0आई0डी0एफ0 योजना के अधिनीत सेतु कार्यो हेतु रू0 23.83 करोड़ व नये सेतु कार्यो हेतु रू0 30.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक आर0आई0 डी0एफ0 योजना के अधिनीत मार्ग कार्यो हेतु रू0 200.00 करोड़ एवं वर्ष 2006-07 में स्वीकुत किये जाने वाले नये मार्ग कार्यो हेतु रू0 26.67 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक में सेतु के अधिनीत कार्यो हेतु रू0 24.00 करोड़ व नये स्वीकृत किये जाने वाले सेतु कार्यो हेतु रू0 8.43 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है।

<u>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्राम विकास योजना:-</u>

अनुसूचित जाति/जन-जाति के लोगों की दयनीय आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर कई विकास कार्यक्रम संचालित किए गए। परन्तु इन वर्गों की दशा में पर्याप्त सुधार परिलक्षित न होने के कारण अनुसूचित जाति/जन-जाति की जनसंख्या के बाहुल्य वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को सीधा लाभ पहुँचाने के दृष्टिकोण से वर्ष 1990-91 में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना प्रारम्भ की गयी थी। वर्ष 1990-91 से 1995-96 तक उन ग्रामों को अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/जन-जाति के संख्या 1991 की गणना के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक थी। किन्तु चयनित ग्रामों के छोटे होने के कारण सृजित अवस्थापना सुविधाओं का लाभ कम मिल रहा था। अतः वर्ष 1996-97 में अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में संशोधन किया गया तथा संशोधित मापदण्ड के अनुसार जनपद के सभी ग्राम 1991 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जाति/जन-जाति को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करके सर्वाधिक जनसंख्या वाले उन ग्रामों को चयनित किया गया है जिनमें अनुसूचित जाति/जन-जाति की संख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1997-98 में यह निर्णय लिया गया कि सभी विधान सभा क्षेत्रों में एकरूपता बनाये रखने के उद्देश्य से अम्बेडकर ग्रामों के चयन के मापदण्ड में पुनः संशोधन किया जाए। इस निर्णय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों को छोड़ते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से 10-10 ऐसे राजस्व ग्राम, जिनमें अनुसूचित जाति/जन-जाति की जनसंख्या 30 प्रतिशत या उससे अधिक थी, आबादी को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए अम्बेडकर ग्राम के रूप में चयनित किये गये हैं। इसी प्रकार वर्ष 1998-99 में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र(शहरी इलाकों को छोड़कर)से अपेक्षाकृत अधिक आबादी वाले 10-10 ग्रामों का चयन किया गया एंव वर्ष 2002-03 में वर्ष 1995-96 एवं 1997-98 में चयनित, परंतु असंतृप्त 2463 ग्रामों को पक्के संपर्क मार्गों से जोड़ने की कार्यवाही की गयी।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत, वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी वाले गांवो का, पक्के सम्पर्क मार्गो द्वारा संतृप्तीकरण किया जाना है। प्रदेश में 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी वाले कुल चयनित 30779 ग्रामों में से 25760 ग्राम संतृप्त किये जा चुके है और वर्ष 2005-06 में 1471 ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिये रू0 315.76 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 2006-07 के बजट में स्पेशल कम्पोनेट प्लान के अन्तर्गत रू0 534.00 करोड़ की धनराशि आय व्ययक में प्राविधानित की गई है। प्रस्तावित प्राविधान रू0 534.00 करोड़ में कुल 1200 ग्रामों के संतृप्तीकरण हेतु 3500 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

3- <u>विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने के सम्बन्ध में टिप्पणी :-</u>

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर प्रदेश के कुल 99422 ग्रामों में से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मार्च 2005 तक 56049 ग्राम पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़े जा चुके है। मार्च 2005 तक सम्पर्क मार्गो से जुड़े ग्रामों की संख्या, तथा वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में जोड़े जाने वाले ग्रामों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

ग्रामों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने की स्थिति (पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-4 को छोड़कर)					
जनसंख्या (2001 की जनगणना के आधार पर)	कुल ग्रामों की संख्या	सम्पर्क मार्गो से जुड़े ग्रामों की संख्या (3/05 तक)	सम्पर्क मार्गो से अभी तक न जुड़े ग्रामों की संख्या	वर्ष 2005-06 का लक्ष्य	वर्ष 2006-07 का लक्ष्य
1000 एवं उससे अधिक	45874	33632(73%)	12242	724	770
500-999	26108	11944(46%)	14164	614	785
250-499	15400	5215(34%)	10185	380	655
250 से कम	12040	5258(44%)	6782	132	360
योग:-	**99422**	**56049(56%)**	**43373**	**1850**	**2570**

- शत प्रतिशत ग्रामों को सर्वऋतु सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु रू0 20000.00 करोड़ की आवश्यकता होगी।
- वर्ष 2005-06 में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण हेतु रू0 851.00 करोड़ की धनराशि व्यय की जायेगी।
- वर्ष 2006-07 में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के निर्माण हेतु रू0 1225.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित की गई है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों को सम्पर्क मार्गों से वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में जोड़ने के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

ग्रामों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने हेतु नये मार्गो का निर्माण

(आयोजनागत मद से) (धनराशि रू. करोड़ में)

वर्ष 2005-06

कम सं0	योजना का नाम	आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि	निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गो की लम्बाई (कि.मी.)	सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने वाले ग्रामों की सं0
1	जिला योजना (समग्र विकास योजना को सम्मिलित करते हुए	102	1062	720
2	राज्य योजना	325	650	410
3	आर0आई0डी0एफ0	108	308	180
4	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	316	782	540
	योग:-	रू. 851 करोड़	2802 कि.मी.	1850 अदद

वर्ष 2006-07

कम सं0	योजना का नाम	आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि	निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गो की लम्बाई (कि.मी.)	सम्पर्क मार्गो से जोड़े जाने वाले ग्रामों की सं0
1	जिला योजना (समग्र विकास योजना को सम्मिलित करते हुए	464	1925	880
2	आर0आई0डी0एफ0	227	980	490
3	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान	534	3500	1200
	योग:-	रू.1225.00 करोड़	6405 कि.मी.	2570 अदद

4- विगत पॉच वर्षो में आयोजनागत व आयोजनेत्तर मदों में उपलब्ध धनराशि एवं किये गये व्यय के सम्बन्ध में टिप्पणी :-

विगत पॉच वर्षो में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि एवं किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

क.सं.	वर्ष	मार्ग एवं सेतु कार्यो के निर्माण हेतु आय व्ययक मे प्राविधानित धनराशि (रू. करोड़ में)	कुल व्यय (रू. करोड़ में)
1	2001-02	1084.65	748.35
2	2002-03	1390.75	1394.20
3	2003-04	1887.12	1512.68
4	2004-05	1828.53	1594.16
5	2005-06	3640.92	2305.00 (जनवरी 2006 तक)
6	2006-07 (प्रस्तावित)	4690.06	-

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2001-02 के आय-व्ययक में मात्र रू0 1084 करोड़ का बजट प्राविधान था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2006-07 में रू0 4690 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है जो कि वर्ष 2001-02 की तुलना में लगभग 5 गुना है। वर्ष 2005-06 में माह जनवरी 2006 तक रू0 2305 करोड़ व्यय किया जा चुका है जो कि विगत किसी भी पूरे वित्तीय वर्ष मे किये गये व्यय से अधिक है। प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए मार्गो एवं सेतुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त आंकड़ों से स्वतः स्पष्ट है कि मार्गो/सेतुओं के निर्माण तथा इनके उचित रख-रखाव एवं सुधार के लिए विगत वर्षो की तुलना में काफी अधिक धनराशि उपलब्ध कराते हुए मार्ग/सेतुओं के निर्माण कार्यो को गति प्रदान की गयी है।

5- केन्द्रीय सड़क निधि योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य माग्रों/प्रमुख जिला मार्गो/अन्य जिला मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाता है। विगत पॉच वर्षो में इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य, आवंटन एवं किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यो का वर्षवार विवरण

(धनराशि रू. लाख में)

क्रम सं0	वर्ष	स्वीकृत कार्यो की संख्या	स्वीकृत/वास्तविक लम्बाई (कि.मी.)	स्वीकृत/वास्तविक लागत	3/04 तक व्यय	वर्ष 2004-05 का आवंटन	वर्ष 2005-06 का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2000-01	1	2.62	123.68	123.68	0.00	0.00
2	2001-02	17	579.01	13921.62	13050.35	974.77	120.60
3	2002-03	14	181.33	7426.73	7856.22	386.38	116.36
4	2003-04	16	318.04	11814.14	334.17	4526.86	5245.08
5	2004-05	24	515.00	23127.19	0.00	3464.66	12137.26
6	2005-06	20	445.52	20042.56	0.00	0.00	6675.00
योग:-		**92**	**2041.52**	**76455.92**	**21364.42**	**9352.67**	**24294.30**

केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार का अंश चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रतिवर्ष रू0 142.00 करोड़ निर्धारित हुआ हैं। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त वार्षिक अनुमन्य धनराशि अंश की 2 गुनी धनराशि (+) व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र की धनराशि (-) पूर्व में स्वीकृत कार्यो की कुल धनराशि के समतुल्य कार्यो की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जानी है । निर्धारित अंश का एक-तिहाई भाग की धनराशि अग्रिम रूप में भारत सरकार द्वार उपलब्ध केराई जायेगी।

6- मार्गो का अनुरक्षण

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वर्तमान में सडको की कुल लम्बाई 127,166 कि.मी. है जिसमें 5583 कि. मी. राष्ट्रीय मार्ग 8546 कि.मी. राज्य मार्ग, 7274 कि.मी. प्रमुख जिला मार्ग, 28400 कि.मी. अन्य ज़िला मार्ग व 77363 कि.मी. ग्रामीण मार्ग सम्मिलित है। इन मार्गों में राष्ट्रीय मार्ग को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गो का रखरखाव प्रदेश के बजट से ही किया जाता है।

वर्ष 2004-05 में अनुरक्षण के कार्यों की भौतिक प्रगति, व्यय तथा वर्ष 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 में अनुरक्षण कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार है :-

मार्गों के वार्षिक अनुरक्षण, नवीनीकरण तथा विशेष मरम्मत के कार्य
(केन्द्रीय मार्ग निधि को छोड़कर आयोजनेत्तर बजट से विकास कार्य)

क्र. सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2004-05		वित्तीय वर्ष 2005-06(लक्ष्य) ***		वित्तीय वर्ष 2006-07(लक्ष्य)	
		भौतिक प्रगति (किमी में)	व्यय (करोड़ रू0 में)	भौतिक (किमी में)	वित्तीय (करोड़ रू0 में)	भौतिक (किमी में)	वित्तीय (करोड़ रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	समान्य अनुरक्षण	15500	65	23260	120	48500	200
2	नवीनीकरण	6600	225*	6300	100	15000	350
3	विशेष मरम्मत	4318	301	10475	630	13125	800**
	योग	26418	591	40035	850	76625	1350

* नवीनीकरण के पूर्व ग्रामीण मार्गों पर भारी मरम्मत के कार्य कराये गये।

** (i) मार्गों के आबादी वाले गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त भागों की 500 कि.मी. लम्बाई के सुधार हेतु - रू0 250 करोड़

(ii) 1000 क्षतिग्रस्त पुलियों के पुर्ननिर्माण हेतु - रू0 50 करोड़

(iii) 9382 कि.मी. में विशेष मरम्मत के कार्यो हेतु रू0 500 करोड़

*** चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में नवम्बर 2005 तक 90 प्रतिशत से अधिक उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है।

नोटः- कुल 44,000 कि.मी. कोर रोड नेटवर्क में से लगभग 85 प्रतिशत लम्बाई में सुधार का कार्य चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रगति पर है।

9. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गई। उत्तर प्रदेश में 1,000 से अधिक आबादी के 39,139 तथा 500 से 999 आबादी के 42,808 मजरे हैं। भारत सरकार द्वारा 1,000 आबादी के ऊपर के सभी ग्रामीण मजरों को वर्ष 2003-04 तथा 500 से ऊपर की आबादी के सभी मजरों को 2007-08 तक पक्के मार्गो से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित था, परन्तु सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रथम चरण के लक्ष्य को पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। प्रदेश में इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग को 40

जनपद तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को 30 जनपद में कार्यदायी संस्था घोषित किया गया हैं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2006-07 में पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज-3 (विश्व बैंक पोषित) के अन्तर्गत 535 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग पूर्ण करते हुए रू0 127 करोड़ का व्यय किया जायेगा, इससे 174 बसावटें लाभान्वित होगी। फेज-4 के अन्तर्गत 2595 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग कार्य पूर्ण करते हुए रू0 417 करोड़ का व्यय किया जायेगा, इससे 1652 बसावटें लाभान्वित होगी। वर्ष 2006-07 में फेज-3 एवं फेज-4 के समस्त कार्य दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है इस प्रकार कुल 3130 कि0मी0 लम्बाई में मार्ग कार्य पूर्ण करते हुए रू0 544 करोड़ का व्यय किया जायेगा, जिससे 1826 बसावटें लाभान्वित होगी। लोक निर्माण विभाग हेतु फेज-5 के लिये 630 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया हैं। फेज-5 की स्वीकृति के लिये डी0पी0आर0 बनाने का कार्य प्रगति में हैं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सारणीबद्ध वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संलग्न है। (पृष्ठ संख्या-30)

10. **समग्र ग्राम विकास योजना**

प्रत्येक विधानसभा/विधान परिषद क्षेत्र में मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा 10-10 ग्रामों का चयन करके 16 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संतृप्त किये जाने की समग्र ग्राम विकास योजना दिसम्बर, 2003 में बनायी गयी, जिसके अन्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़े जाने की योजना भी सम्मिलित की गई। इस योजना के अन्तर्गत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धन की व्यवस्था करने का दायित्व कार्यक्रमों के प्रशासकीय विभाग का रखा गया और उनके द्वारा विभिन्न श्रोतों से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था करके चयनित समग्र ग्रामों के संतृप्तीकरण की कार्यवाही की जानी थी।

वित्तीय वर्ष 2003-04 में कुल 5063 अदद समग्र ग्रामों का चयन किया गया जिसमें से दिसम्बर, 2003 के पूर्व से ही 2244 समग्र ग्राम पक्की सड़कों से जुड़े हुए पाये गये और इस प्रकार केवल 2819 समग्र ग्रामों को ही पक्की सड़कों से जोड़े जाने की योजना बनायी जानी थी। लोक निर्माण विभाग द्वारा पिछले दो वर्षो में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 1977 अदद समग्र ग्रामों के संतृप्तिकरण हेतु विभागीय बजट से रू0 496 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है और इन गावों के संतृप्तिकरण हेतु निर्माण कार्य पूरी प्रगति से कराया जा रहा है, जिन्हें जून, 2006 तक शतप्रतिशत संतृप्त कर दिया जाएगा। 294 ग्रामों के संतृप्तीकरण का कार्य अन्य विभागो द्वारा कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शेष 548 अदद समग्र ग्रामों को संतृप्त करने हेतु नाबार्ड/राज्य योजना के अन्तर्गत रू0 240 करोड़ की लागत की व्यवस्था करते हुए स्वीकृति की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल 5103 अदद समग्र ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें से 2589 अदद समग्र ग्राम सम्पर्क मार्ग से संतृप्त के किये जा चुके है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में समग्र ग्रामों के चयन की प्रकिया को सम्बन्धित जिलाधिकारियों अन्तिम रूप दिया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लगभग 5000 समग्र ग्रामों का चयन किया जाना सम्भावित है।

इस वित्तीय वर्ष में जिला योजना के अन्तर्गत समग्र ग्राम विकास हेतु 40 करोड़ की बजट व्यवस्था रखी गई हैं। और वर्ष 2006-07 में समग्र ग्राम विकास हेतु लगभग रू0 113 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

1. भवन विंग संगठनः-

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्ड़ों द्वारा सम्पादित किया जाता है। मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियनता "भवन" तैनात है, जिनके अधीनस्थ भवनों की समीक्षा एवं परिकल्पना के लिये अधिकारी उपलब्ध है।

2. भवन कार्यो का विवरण

(अ) भवन निर्माणः-

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विश्व-बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा लो0नि0विभाग की स्वंय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यो का वित्तीय प्राविधान लो0नि0वि0 के अथवा सम्बन्धित विभाग के आय-व्ययक में होता है।

(ब) भवन अनुरक्षणः-

विभाग द्वारा लखनऊ में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवनों का अनुरक्षण कराया जाता है। राजभवन, माननीय उच्च न्यायालय, के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, लो0नि0वि0 की स्वंय की सभी आवासीय कालोनियों के रख-रखाव का कार्य सम्पादित कराया जाता हैं। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो0नि0वि0 के अन्य सभी भवनों तथा सर्किट हाउस व निरीक्षण भवनों के रख-रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में माननीय उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख-रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

लो0नि0वि0 के आवासीय एवं अनावासीय भवनों से सम्बन्धित कार्यो हेतु वर्ष 2005-2006 में कुल बजट प्राविधान रू0 38.61 करोड़ का प्राविधान है, जिसमें लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आयोजनागत कार्यो हेतु रू0 18.90 करोड़ एवं आयोजनेत्तर कार्यो हेतु रू0 19.26 करोड़ का प्राविधान है, जिससे भवनों के निर्माण एवं रख-रखाव आदि का कार्य कराया जा रहा है।

भवन कार्यो हेतु वर्ष 2006-07 के लिये कुल बजट रू0 44.63 करोड़ हैं, जिसमें आयोजनेत्तर हेतु रू0 21.77 करोड़ तथा आयोजनागत कार्यो हेतु रू0 22.86 करोड़ का प्राविधान है, जिसमें भवनों के अनुरक्षण तथा निर्माण के कार्य कराये जाने है।

बाह्य सहायतित कार्य (राष्ट्रीय मार्ग के कार्य को छोड़कर)

1. विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II के कार्य

प्रदेश के कोर रोड़ नेटवर्क की लगभग 3500 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के उच्चीकरण एवं वृहद रख-रखाव हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को विश्व बैंक से भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृत है। इस परियोजना अर्थात् स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II का निष्पादन दो चरणों में किया जा रहा है:-

प्रथम चरण:- 374 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो (4 पैकेजेस्) का उच्चीकरण एवम् 808 कि0मी0 (16 पैकेजेस्) लम्बाई के मार्गो का वृहद् रख-रखाव ।

द्वितीय चरण:- 579 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो (7 पैकेजेस्) का उच्चीकरण, 1766 कि0मी0 (32 पैकेजेस्) कि0मी0 लम्बाई के मार्गो का वृहद् रखरखाव, 20 कि0मी0 लम्बाई के चार बाईपासों का निर्माण तथा 5 दीर्घ सेतुओं का निर्माण।

इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू0 295200 लाख (यू0एस0 डालर 615 मिलियन) है।

परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत बृहद रखरखाव के 16 पैकेजों में से 12 पैकेजेस् (547 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग) पर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 4 पैकेजेस् पर कार्य प्रगति में है। इसी प्रकार प्रथम चरण के अन्तर्गत उच्चीकरण के चारों पैकेजेस् के मार्गो पर कार्य प्रगति में है। जिनका विवरण निम्नवत् है।

1. कटरा-बिलग्राम मार्ग
2. जौनपुर-मोहम्मदपुर मार्ग
3. बहराइच-फैजाबाद मार्ग
4. भोगनीपुर-घाटमपुर मार्ग

निर्माण अवधि में भारतीय रूपये के मूल्य में एप्रीसिएशन हो जाने एवं निर्माण कार्यो की लागत में वृद्वि हो जाने के फलस्वरूप परियोजना की लागत में यू0एस0 डालर के सापेक्ष प्रस्तावित रू0 649 करोड़ धनराशि की वृद्वि के समायोजन हेतु विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त प्रोजेक्ट को रिस्ट्रक्चर करने के उपरान्त परियोजना का विवरण निम्न प्रकार है :-

1.	उच्चीकरण का कार्य	:	397 कि.मी.लम्बाई के मार्ग
2.	वृहद रखरखाव का कार्य	:	2905 कि.मी.लम्बाई के मार्ग
3.	दीर्घ सेतु	:	5 नं0
4.	बाईपासेस	:	5 नं0 (लगभग 20 कि.मी.लम्बाई)

इस प्रकार द्वितीय चरण में 2129 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो का वहृद रखरखाव, 20 कि0मी0 लम्बाई के 4 बाईपासेस का निर्माण तथा 5 दीर्घ सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वृहद रखरखाव कार्यो के लिए 37 पैकेजेस बनाये गये है। इन 37 पैकेजों मे से 14 पैकेजों (668 कि0मी0 लम्बाई के मार्ग) पर कार्य प्रगति में है तथा शेष पैकेज़ों के बिड आमंत्रण का कार्य भिन्न-भिन्न चरणों में प्रगति पर है। 5 वहृद सेतुओं में से 2 वहृद सेतुओं (जनपद बदांयू में गंगा के नदी के ऊपर कचला घाट एव जनपद मथुरा में यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट पर) का निर्माण कार्य प्रगति में है। चारों बाईपासेस के लिए भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रगति में है।

योजना के प्रथम चरण एव द्वितीय चरण के निम्न मार्गो पर वहृद रख-रखाव का कार्य प्रगति पर हैं :-

1. खुटार-गोला-लखीमपुर- नानपारा-बहराइच मार्ग
2. जानसठ-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग
3. बछरावां-फतेहपुर मार्ग
4. फैजाबाद- आजमगढ़ मार्ग
5. मेरठ- गढ़मुक्तेश्वर मार्ग
6. मेरठ-बुलन्दशहर- नरोरा मार्ग
7. बुलन्दशहर- गढ़मुक्तेश्वर मार्ग
8. बदायूं- कासगंज मार्ग
9. मथुरा-नोहझील मार्ग
10. एटा-शिकोहाबाद मार्ग

परियेाजना पर मार्च 2005 तक रू0 36550 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा 547 कि.मी. लम्बाई के मार्गो पर वहृद रखरखाव का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में स्टेट रोड प्रोजेक्ट-II के कार्यो हेतु रू0 43887 लाख धनराशि के बजट का प्राविधान है। माह नवम्बर 2005 तक रू0 13027 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 308.60 करोड़ धनराशि के व्यय करने का पुनरीक्षित अनुमान है वित्तीय वर्ष 2005-06 में 232 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के वृहद रखरखाव का कार्य एवं 150 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण कराया जाने का लक्ष्य है, जिसके विरूद्व माह नवम्बर 2005 तक 51.50 कि0मी0 में वृहद रखरखाव का कार्य पूर्ण हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु इस परियोजना हेतु निर्धारित रू0 500 करोड़ परिव्यय के सापेक्ष रू0 444.44 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है, जिसके विरूद्व 500 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के वृहद रखरखाव का कार्य तथा 150 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो के उच्चीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।

अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियन्त्रण

लोक निर्माण विभाग, में अन्वेषणालय, रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल तथा जनपदीय एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से मार्गों, सेतुओं तथा भवनों के निर्माण कार्यों में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री का परीक्षण निर्धारित मानकों/विशिष्टियों के सापेक्ष उच्चतम गुणवत्ता एवं परिशुद्धता के साथ किया जाता है, जो निर्माण कार्यों की आपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त करने तथा नयी तकनीक के संचार करने में प्रमुख भूमिका निभाता हैं।

निर्माण कार्यो में आवश्यक एवं मित्तव्ययी परिकल्पना करने के लिये मिट्टी के नमूनों की भार वहन क्षमता ज्ञात करने हेतु 'आप्टिमम म्वायश्चर कन्टेन्ट' (ओ0एम0सी0) तथा मिट्टी की धारक क्षमता (सी0बी0आर0) का परीक्षण विभिन्न प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। पूर्व निर्मित मार्गों का सुदृढ़ीकरण एवं उच्चीकरण हेतु बेकिंलमैन बीम डिफ्लेक्शन टेस्ट भी यथाआवश्यकतानुसार सम्पन्न किया जाता हैं।

'उपरोक्त परीक्षणों एवं निर्माण कार्यों की परिकल्पना एवं संरचना के साथ-साथ शासन एवं विभाग द्वारा संदर्भित महत्वपूर्ण जांच कार्य भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभागं में कार्यरत अभियन्ताओं को तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थान के माध्यम से अन्वेषणालय द्वारा कराया जाता है।

वर्ष 2005-06 में अब तक उपरोक्त प्रयोगशालाओं में कुल 3362 निर्माण सामग्री के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है तथा वर्ष 2006-07 हेतु लगभग सामेकित रूप में 6000 नमूनों के परीक्षण का लक्ष्य हैं।

ई - गवर्नेंस

विभाग के कम्प्यूटरीकरण के कार्य पर कम्प्यूटर ग्रुप द्वारा प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभाग में कम्प्यूटरीकरण कार्य दो चरणों में पूरा किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण के अर्न्तगत केवल आगरा, वाराणसी, लखनऊ क्षेत्र, मुख्यालय एवं शासन स्तर तक हार्डवेयर क्रय तथा एप्लीकेशन साफ्टवेयर डेवलप करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष कार्य द्वितीय चरण में किये जाने प्रस्तावित है।

प्रथम चरण की कार्य योजना की लागत रू0 567 लाख व द्वितीय चरण की कार्य योजना रू0 4304 लाख की है जो कि वर्ष 2008 तक पूर्ण होगी।

प्रथम चरण के कम्प्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर स्थापित कर दिया गया है तथा सभी साफ्टवेयर डिजाइन कर दिये गये है। बैंक ऐंड में एम0एम0 सिक्वल सरवर 2000 में डाटावेस का खांका पूर्णरूपेण तैयार है तथा फान्ट ऐंड में वी0बी0 पर डाटा इन्ट्री फार्म, ट्रान्जेक्शन इन्ट्री फार्म तथा रिपोर्ट जेनरेशन फार्म तैयार है। इन फार्मों में मास्टर डाटा भरकर उनकी टेस्टिंग की जा रही है, जिसमें सभी मॉड्यूल से सम्बन्धित अधिकारियों का योगदान रहा है जिससे उन्हें सिस्टम का प्रारम्भिक ज्ञान हो गया है। बेसिक डाटा बैंक बनाने हेतु ट्रांजेक्शन डाटा एकत्रित कर इंट्री करायी जा रही है। वर्ष 2005-06 में यह स्टेज पूर्ण हो जायेगी तब विभाग में इस कम्प्यूटरीकरण कार्य का प्रत्यक्ष लाभ प्रदर्शित होने लगेगा। वर्तमान में लगभग सभी खण्डों में कम्प्यूटर उपलब्ध हो गये है तथा यह कम्प्यूटर एकल रूप में कार्य भी कर रहें है। विभाग में लगभग 250 कर्मचारियों/अधिकारियों को इस थीम के अर्न्तगत प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया है, जिससे कर्मचारी तथा अधिकारी धीरे-धीर कम्प्यूटर फ्रेन्डली हो गये है तथा दैनिक कार्य भी कम्प्यूटर से कर रहें है।

वर्ष 2005-06 में विभाग के प्रत्येक खण्डीय कार्यालयों, वृत्तों व क्षेत्रीय कार्यालयों को मैसर्स टी0सी0एस0 द्वारा बनाये गये एप्लीकेशन साफ्टवेयर के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता कार्यालय/शासन से ऑन लाइन जोड़े जाने की कार्यवाही प्रगति में है।

वर्ष 2005-06 में समस्त मार्गों के विवरणं, कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा विवरण, बजट, लेखा, कार्यों की प्रगति आदि पूर्णतयः कम्प्यूटराइज्ड कर दिये जायेंगे। वर्ष 2005-06 में ही विभागीय बेवसाइट को उच्चीकृत कर दिया जायेगा। वर्ष 2006-07 में विभाग के मार्गों को पूर्णतयाः डिजीटलाइज किये जाने की भी योजना है। कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं स्टेशनरी हेतु मद संख्या 46 व 47 के अर्न्तगत रू0 4.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षणों से अधिकारियों/कर्मचारियों को बेहतर प्रबंधन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्प्यूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यों का सम्पादन कर सकेंगें। मुख्य रूप से निम्न संस्थानों द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं, एवं उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान नोयडा, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नई दिल्ली, नेशनल कौसिंल फॉर सीमेन्ट एण्ड बिल्डिंग मटीरियल हैदराबाद। नव नियुक्त सहायक अभियन्ताओं के आधारभूत प्रशिक्षण अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी लखनऊ में कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उ0प्र0 सरकार द्वारा वर्ष 1973 में सेतुओं के निर्माण को नयी दिशा देने के उद्देश्य से 0.5 करोड़ रू0 की धनराशि से सेतु निगम की स्थापना की गयी । स्थापना के 33 वर्षो के अन्तराल पर सेतु निगम का कार्यभार 4 करोड़ रूपये से बढ़कर वर्ष 2005-2006 में रू0 325 करोड़ रूपये के कार्यभार का लक्ष्य है । वर्ष 1997 से सेतु निगम ग्रामीण अंचल के विकास की ओर अग्रसर है । नाबार्ड द्वारा अब तक 277 सेतुओं की स्वीकृति प्राप्त हुयी है । वर्तमान में सेतु निगम द्वारा निक्षेप कार्यो के अर्न्तगत विभिन्न योजनाओं में 250 कार्य तथा निविदा कार्यो के अर्न्तगत 11 राज्यों में 21 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

सेतु निगम द्वारा मार्च 2005 तक 1600 सेतुओं का निर्माण कार्य किया जा चुका है। वर्ष 2004-2005 में लक्षित 121 निक्षेप एवं 15 निविदा कार्यो के सापेक्ष 132 सेतु एवं 19 पहुंच मार्ग (निक्षेप) एवं 8 निविदा कार्य पूर्ण किये गये जा चुके हैं । सेतु निगम द्वारा रू0 187 करोड़ (निक्षेप) एवं रू0 128 करोड (निविदा) का कार्यभार किया गया है ।

2 . सेतु निगम द्वारा वर्ष 2005-06 का लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा 2006-2007 का लक्ष्य का योजनावार विवरण निम्नानुसार है

(धनराशि रू0 करोड़ में)

कम	योजना का नाम	वर्ष 2005-2006 निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन उपलब्धि		वर्ष 2006-07 का निर्धारित लक्ष्य	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्ययभार
1	नाबार्ड योजना के कार्य (फेज-2, 3, 4, 5, 7, 10 एवं 11)	33	25.00	10	7.14	25	47.50
2	आयोजनागत (राज्य सेक्टर)	26	30.00	4			
3	रेलवे सुरक्षा निधि	2	20.00	0			
4	केन्द्रीय सड़क निधि	2	25.00	1			
5	अम्बेडकर ग्राम विकास योजना	2	1.00	1			
6	राज्य सड़क योजना	1	1.00	0	0.20	2	5.00
7	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के अर्न्तगत सेतु	2		1	1.50	1	4.25
8	वन टाइम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0	0.40	0	0.12	0	0.00
9	अन्य निक्षेप	4	3.00	1	5.28	6	5.00
10	पूर्वान्चल विकास निधि	8	6.00		1.15	8	10.00

क्रम	योजना का नाम	वर्ष 2005-2006 निर्धारित लक्ष्य		लक्ष्य के सापेक्ष अद्यतन उपलब्धि		वर्ष 2006-07 का निर्धारित लक्ष्य	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्ययभार
11	त्वरित आर्थिक विकास योजना	29	30.00	6	20.80	10	20.00
12	सम विकास योजना	1	3.00	0	0.20	0	0.00
13	आदर्श जनपद योजना	6	3.00	0	0.20	3	2.00
14	बुन्देलखण्ड विकास निधि	1	30.00	0	3.00	3	25.00
15	साडा योजना	0	5.00	0	0.20	0	0.00
16	पूर्वान्चल विशेष पैकेज	3	3.00	0	1.13	0	1.00
17	बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज	0	3.00	0	0.60	1	5.00
18	मध्यांचल विशेष पैकेज	1	0.60	0	0.15	0	0.00
19	पश्चिमांचल विशेष पैकेज	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	योग निक्षेप कार्य	**121**	**195.00**	**24**	**63.00**	**80**	**200.00**
1	निविदा	14	130.00	2	43.44	7	150.00
	महायोग :-	**135**	**325.00**	**26**	**106.44**	**87**	**350.00**

3. निविदा कार्य - सेतु निगम द्वारा उत्तर प्रदेश व भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों में खुली निविदा के आधार पर निम्न कार्य प्रगति पर हैं -

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क0सं0	विवरण	कार्यो की संख्या	कार्यो का मूल्य
1.	उ0प्र0 के निविदा कार्य	5	227.95
2.	अन्य प्रदेशों में निविदा कार्य	16	466.39
	योग	**21**	**694.34**

4- नाबार्ड - 11 (आर0आई0डी0एफ0-11) के अर्न्तगत रू0 431.00 करोड़ के 147 सेतुओं का प्रस्ताव स्वीकृती हेतु नाबार्ड को प्रेषित किये गये हैं ।

5- बी0ओ0टी0 योजना

रेलवे की स्टडी के आधार पर पाये गये 90 "इकोनामिकली वायावल" रेल उपरिगामी सेतुओं में से सबसे लाभप्रद 20 रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण बी0ओ0टी0 के आधार

पर कराये जाने हेतु चयनित किया गया है । इनकी "प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कन्सल्टैन्सी" का कार्य मेसर्स एच0एस0एस0 एवं मेसर्स फीड बैक कन्सल्टैन्सी को संयुक्त रूप से आवंटित किया गया है । कन्सल्टैन्ट ने टोल की वसूली हेतु " रिर्पोट आन लीगल फ्रेमवर्क एण्ड टोल पालिसी" प्रस्तुत की है जिसे शासन को परीक्षणोपरान्त राजाज्ञा जारी करने हेतु प्रेषित किया गया है ।

6. लाभ/ हानि की स्थिति -

सेतु निगम द्वारा वर्ष 2004-05 के अनआडिटेड लेखों के अनुसार किये गये कार्य का मूल्य रू0 315 करोड़ हैं एवं रू0 2.23 करोड़ का लाभ हुआ है ।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0

स्थापना

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम (आई0एस0सो0 900/2000 प्रमाणित) की स्थापना उ0प्र0 राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में अगस्त, 1975 में स्थापित हुई थी। उस समय निगम के पास प्रदत्त अंशपूंजी वर्तमान में रू0 500 लाख है।

संकल्प एंव उद्देश्य

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यो में मितव्ययता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ-साथ परदर्शिता है। इसी क्रम मे ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित वेतन एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना तथा तकनीकी योग्यता धारक व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

निगम की कार्य प्रणाली :-

निगम द्वारा समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत मुख्य निर्माण सामग्री ईंट, लोहा, सीमेन्ट आदि का क्रय सीधे निर्माताओं या अधिकृत वितरकों से किया जाता है तथा इन्हें छोटे-छोटे श्रमिकों (पी.आर.डबलू.) के माध्यम से कराया जाता है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के अन्य राज्यों दिल्ली, उत्तरांचल, पंजाब, हिमालय प्रदेश, हरियाणा, चण्डीगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आन्ध प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक निर्माण कार्य कर रहा है।

इस वित्तीय वर्ष की उपलब्धियाँ :-

(1) निक्षेप कार्य :- निक्षेप कार्य के अन्तर्गत सरकार/अर्द्धसरकारी/सरकारी उपक्रमों अथवा प्रतिष्ठानों/संस्थाओं के 939 कार्य निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 400.00 करोड़ के लक्ष्य के विरूद्ध नवम्बर- 2005 तक रू0 444 करोड़ के कार्य सम्पादित कराये जा चुके हैं, जिससे इस वित्तीय वर्ष लगभग 670 करोड़ का टर्नओवर प्राप्त करने की पूर्ण सम्भावना हैं।

(2) निविदा कार्य :- कड़ी प्रतिस्पर्धा एवं निगोशिएशन के आधार पर निगम को प्राप्त 111 निविदा कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 50 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध रू0 56 करोड़ के कार्य माह नवम्बर-05 निष्पादित कराये जा चुके हैं।

(3) मार्ग कार्य :- निगम भवन कार्यो के अतिरिक्त सोडिक योजना, केन्द्रीय सड़क निधि, त्वरित आर्थिक विकास योजना, राज्य योजना व राज्य सड़क निधि के लगभग 1300 कि0मी0 लम्बाई के रू0 330 करोड़ लागत के 135 मार्ग निर्माण करा रहा है, जिसमें से लगभग 70 कार्य पूरे हो चुके हैं एवं शेष की औसत प्रगति लगभग 65 प्रतिशत है तथा इन कार्यो पर अब तक कुल व्यय लगभग रू0 204 करोड़ किया जा चुका है तथा लगभग 120 करोड़ के विभिन्न जनपदों के मार्ग निर्माण कार्य निगम को अभी आवंटित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरण :-

वित्तीय वर्ष 2005-06 में रू0 300 करोड़ के कार्य अर्जन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके विरूद्ध नवम्बर- 2005 तक लगग रू0 400 करोड़ के कार्य अर्जित किये गये।

लाभ हानि की स्थिति :-

वित्तीय वर्ष 2004-05 में अंकेक्षित लेखों के आधार पर निगम को रू0 342.44 लाख का कर पूर्व लाभ हुआ है। वर्ष 2005-06 में अंकेक्षित लेखों के आधार पर निगम को रू0 1360 लाख का (कर पूर्व) लाख अनुमानित है।

निगम द्वारा इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण/सम्पादित करायी जा रही उच्च विशिष्टियों की अति महत्वपूर्ण परियोजनायें :-

1.	चौ0 चरण सिंह महाविद्यालय, हैबरा, इटावा	85 करोड़
2.	मल्टी स्पेशलिटी मेडीकल इन्सटीटयूट, सैफई, इटावा	135 करोड़
3.	इन्दिरागाँधी प्रतिष्ठान, लखनऊ	100 करोड़
4.	डा0 राममनोहर लोहिया 500 शैय्यायुक्त चिकित्सालय लखनऊ	38 करोड़
5.	मल्टी स्पेशलिटी मेडीकल इन्सटीटयूट, गोमतीनगर, लखनऊ	66 करोड़

उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग-1 के पत्र सं0 1228/सात-1-1(क)17-2004 लखनऊ, दिनांक 13 अगस्त 2004 को हुआ।

प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य राजमार्गो और राज्य सरकार द्वारा उसमें निहित किये या उसे सौंपे गये अन्य किसी राजमार्ग का विकास, अनुरक्षण और प्रबन्ध करना है। प्रदेश सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिपेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा राज्य राजमार्गो का विकास एवं अनुरक्षण निजी सहभागिता के आधार पर बी0ओ0टी0 पद्वति पर कराने का प्रयास किया जायेगा।

शासन द्वारा शासनादेश संख्या 3116/23-10-04-15(ब)/04 टीसी, दिनांक 10.12.04 के द्वारा रू0 10.00 करोड़ की धनराशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई एवं शासनादेश संख्या 1354/तेइस-1-2005-17(सा0)/03 दिनांक 31 मार्च 2005 के द्वारा रू0 50.00 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई। पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 (10.00+50.00=60.00) रू0 60.00 करोड़ के विरूद्व कुल रू0 59.667 करोड़ की धनराशि दिनांक 31.3.05 प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद नाम से पी0एल0ए0 खाता खोल कर जमा की गई। चयनित कन्सल्टेन्ट से विस्तृत आख्या प्राप्त होने के पश्चात् तद्नुसार राज्य राजमार्गो के उन्नयन, सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण कार्यो हेतु निविदायें आमंत्रित की जायेगी एवं निविदा के अन्तिम चयन के उपरान्त ही तद्नुसार धनराशि का व्यय पी0एल0ए0 खाते से आहरित करके किया जाना सम्भव हो पायेगा।

वित्तीय वर्ष 2005-06 हेतु बजट में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित रू0 99.00 करोड़ की धनराशि शासनादेश संख्या 2730/23-1-05-17(सा0)/03, दिनांक 08.09.2005 द्वारा ऋण के रूप में एवं आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 1.00 करोड़ की धनराशि शासनादेश संख्या 2729/23-1-05-17(सा0)/03, दिनांक 30.09.2005 द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त हुई है।

उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का प्रयोग वित्तीय वर्ष 2005-06 में उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के अन्तर्गत चयनित मार्गो की कन्सल्टेन्सी कार्य एवं डी0पी0आर0 बनाये जाने एवं अन्य सम्बन्धित कार्यो हेतु प्रस्तावित किया गया है किन्तु उक्त वर्णित कार्य में लग रहे अधिक समय को देखते हुए वर्ष 2006-07 में उक्त प्रस्तावित कार्य एवं प्राधिकरण के अन्य कार्यो हेतु रू0 99.56 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।

प्राधिकरण के अन्तर्गत चयनित मार्गो के उच्चीकरण, रख-रखाव एवं रेलवे उपरिगामी सेतुओं की सूची निम्न प्रकार है :-

उच्चीकरण हेतु चयनित राज्य मार्गो की सूची

क.सं.	मार्ग का नाम	राज्य मार्ग सं0	लम्बाई (किमी0 में)
1-	दिल्ली बागपत सहारनपुर मार्ग	57	200.00
2-	कालपी हमीरपुर मार्ग	90	60.00
3-	बरेली बहेड़ी किच्छा मार्ग	37	64.00
4-	सीतापुर बिलग्राम हरदोई मार्ग	21	110.00
5-	लुम्बनी दुद्धी मार्ग	05	100.00
6-	बदायूं बहजोई सम्भल गजरोला बिजनौर मार्ग	51	195.00

क.सं.	मार्ग का नाम	राज्य मार्ग सं0	लम्बाई (किमी0 में)
7-	चौबेपुर रसूलाबाद बेला इटावा मार्ग	40	104.00
8-	बहराइच बलरामपुर महराजगंज कुशीनगर मार्ग	26	217.00
9-	रायबरेली सुल्तानपुर आजमगढ़ मार्ग	34	215.00
	योग :-		**1265.00**

(ब) <u>रख-रखाव हेतु चयनित मार्गो की सूची :-</u>

क. सं.	मार्ग का नाम	राज्य मार्ग सं0	लम्बाई (किमी0 में)	टिप्पणी
1-	कैराना मुजफ्फरनगर मार्ग	12	55.60	इन राज्य मार्गो का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सतह सुधार कार्य विश्व बैंक पोषित स्टेट रोड़ प्रोजेक्ट-II योजनान्तर्गत किया जा रहा है।
2-	बरेली बदायूं मार्ग	33	45.00	
3-	काशीपुर मुरादाबाद मार्ग	41	43.60	
4-	फैजाबाद अकबरपुर आजमगढ़ मार्ग	30	150.00	
5-	वाराणसी आजमगढ़ दोहरी घाट मार्ग	73	90.00	
6-	वाराणसी शक्तिनगर मार्ग	5 ए	120.00	इन राज्य मार्गो का चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सतह सुधार कार्य "एशियन डेवलपमेन्ट बैंक" योजनान्तर्गत किया जा रहा है।
	योग :-		**504.20**	

(स) <u>चयनित रेलवे उपरिगामी सेतुओं के सूची :-</u>

(i) राज्य मार्ग-14 पर बागपत के समीप (28ए) रेलवे उपरिगामी सेतु का निर्माण।

(ii) राज्य मार्ग-13 पर रायबरेली के समीप (161बी) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।

(iii) राज्य मार्ग-5 पर मिर्जापुर के समीप (30 एस.एल.पी.) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।

(iv) राज्य मार्ग-5 पर मडियाहूं के समीप (7बी) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।

(v) राज्य मार्ग-33 पर भरतपुर के समीप (342ए) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।

(vi) राज्य मार्ग-18 पर बुलन्दशहर के समीप (13ए) रेल उपरिगामी सेतु का निर्माण।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वित्तीय एवं भौतिक प्रगति

लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0

क्र. स.	फेज संख्या	कुल बसावटों की संख्या जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत है	पी0एम0जी0एस0वाई0 के लक्ष्य			दिनांक 31.3.05 तक उपलब्धि			वर्ष 2005-06 के लक्ष्य			वर्ष 2005-06 में 30.11.05 तक उपलब्धि			महायोग			जुड़ी हुई बसावटों की जनसंख्यावार उपलब्धि				
			बसावटों की संख्या	लम्बाई (कि0मी0)	धनराशि (करोड़ रू0)	जुड़ी बसावटों की संख्या	निर्मित लम्बाई (कि0मी0)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रू0)	बसावटों की संख्या	लम्बाई (कि0मी0)	धनराशि (करोड़ रू0)	जुड़ी बसावटों की संख्या	निर्मित लम्बाई (कि0मी0)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रू0)	जुड़ी बसावटों की संख्या	निर्मित लम्बाई (कि0मी0)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रू0)	> 1000	> 500	> 250	< 250	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	फेज-1 (2000-01)	2485 (2039+308+138+0)	2485	8246.00	315.00	2485	8246.00	315.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2485	8246.00	315.00	2039	308	138	0	2485
2	फेज-2 (2001-02)	1185 (1078+98+5+4)	1185	1960.00	383.00	1185	1960.00	379.14	0	0.00	4.00	0	0.00	2.86	1185	1960.00	382.00	1078	98	5	4	1185
3	फेज-3 (2003-04) सामान्य पी0एम0 जी0 एस0वाई0	1085 (711+330+44+0)	1087	1661.00	339.64	176	331.00	214.64	911	1330.00	125.00	807	1186.00	86.52	983	1517.00	301.16	621	318	44	0	983
4	फेज-3 (2003-04) विश्व बैंक पोषित	404 (370+29+5+0)	404	764.95	206.87	0	0.00	0.00	230	230.00	80.00	0	0.00	16.52	0	0.00	16.52	-	-	-	-	
5	फेज-4 (2005-06)	1652 (932+612+78+30)	1652	2594.62	591.84	0	0.00	0.00	0	0.00	175.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	-	-	-	
	योग	**6811 (5130+1377 +270+34)**	**6813**	**15226.57**	**1836.35**	**3846**	**10537.00**	**908.78**	**1141**	**1560.00**	**384.00**	**807**	**1186.00**	**105.90**	**4653**	**11723.00**	**1014.68**	**3738**	**724**	**187**	**4**	**4653**

तालिका "क"-I

अनुदान संख्या- 55

लोक निर्माण विभाग (भवन)

(रू0 लाख में)

क सं0	कार्यक्रम		वास्तविक व्यय 2004-2005			आय व्ययक का अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-06			आय व्ययक का अनुमान 2006-07		
			आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	अनुदान सं0 55													
1	राजस्व लेखा.....													
	(अ) 2059-लोक निर्माण कार्य	मतदेय	0.00	3169.02	3169.02	5.07	934.54	939.61	5.00	912.10	917.10	5.00	977.08	982.08
		भारित	0.00	138.56	138.56	0.00	127.40	127.40	0.00	127.40	127.40	0.00	134.00	134.00
	(ब) 2216-आवास	मतदेय	0.00	1242.00	1242.00	0.00	528.92	528.92	0.00	512.12	512.12	0.00	830.99	830.99
		भारित	0.00	38.75	38.75	0.00	38.75	38.75	0.00	38.75	38.75	0.00	30.05	30.05
	योग-(राजस्व लेखा)	**मतदेय**	**0.00**	**4411.02**	**4411.02**	**5.07**	**1463.46**	**1468.53**	**5.00**	**1424.22**	**1429.22**	**5.00**	**1808.07**	**1813.07**
		भारित	**0.00**	**177.31**	**177.31**	**0.00**	**166.15**	**166.15**	**0.00**	**166.15**	**166.15**	**0.00**	**164.05**	**164.05**
2	पूंजीगत लेखा.....													
	(अ) 4059-लोक निर्माण कार्य	मतदेय	660.08	355.59	1015.67	38.43	147.72	186.15	537.22	166.84	704.06	1331.22	25.05	**1356.27**
		भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	40.66	40.66	0.00	168.85	168.85	0.00	165.02	165.02
	(ब) 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्य	मतदेय	765.47	490.53	1256.00	908.49	1.25	909.74	1347.88	0.00	1347.88	950.01	0.00	950.01
		भारित	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
	योग-(पूंजीगत लेखा)	**मतदेय**	**1425.55**	**846.12**	**2271.67**	**946.92**	**148.97**	**1095.89**	**1885.10**	**166.84**	**2051.94**	**2281.23**	**25.05**	**2306.28**
		भारित	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40.66**	**40.66**	**0.00**	**168.85**	**168.85**	**0.00**	**180.02**	**180.02**
	योग-(राजस्व + पूंजीगत लेखा)	**मतदेय**	**1425.55**	**5257.14**	**6682.69**	**951.99**	**1612.43**	**2564.42**	**1890.10**	**1591.06**	**3481.16**	**2286.23**	**1833.12**	**4119.35**
		भारित	**0.00**	**177.31**	**177.31**	**0.00**	**206.81**	**206.81**	**0.00**	**335.00**	**335.00**	**0.00**	**344.07**	**344.07**
	योग (अनुदान सं0 55)		**1425.55**	**5434.45**	**6860.00**	**951.99**	**1819.24**	**2771.23**	**1890.10**	**1926.06**	**3816.16**	**2286.23**	**2177.19**	**4463.42**

तालिका "क"-II

अनुदान संख्या- 56

लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

वित्तीय आवश्यकतायें एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2004-2005			आय व्ययक का अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-06			आय व्ययक का अनुमान 2006-07		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राजस्व लेखा - 2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2500.00	**2500.00**
2	पूंजी लेखा -4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	29250.00	0.00	**29250.00**	32250.00	-	**32250.00**	29250.00	15000.00	**44250.00**
	योगः-	-	-	-	**29250.00**	**0.00**	**29250.00**	**32250.00**	**0.00**	**32250.00**	**29250.00**	**17500.00**	**46750.00**

तालिका "क"-III

अनुदान संख्या- 57

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2004-2005			आय व्ययक का अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-2006			आय व्ययक का अनुमान 2006-07		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राजस्व लेखा 3054 सड़को तथा सेतु	0.00	400.00	**400.00**	0.00	400.00	**400.00**	0.00	400.00	**400.00**	0.00	900.00	**900.00**
2	पूंजीलेखा 5054 सड़को तथा सेतुओं का पूंजीगत परिव्यय	9060.61	1215.44	**10276.05**	16177.38	1208.72	**17386.10**	28810.16	1208.72	**30018.88**	28389.21	1311.27	**29700.48**
3	अन्य परिवहन सेवाओ के लिए कर्ज (7075)	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
	महायोग:-	**9060.61**	**1615.44**	**10676.05**	**16177.38**	**1608.72**	**17786.10**	**28810.16**	**1608.72**	**30418.88**	**28389.21**	**2211.27**	**30600.48**

तालिका "क"-IV

अनुदान संख्या- 58

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के)

वित्तीय आवश्यकतायें कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क सं0	कार्यकम	वास्तविक व्यय 2004-2005			आय व्ययक का अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-06			आय व्ययक का अनुमान 2006-07		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	3054 सड़क तथा सेतु												
	(मतदेय)	0.00	51338.11	**51338.11**	0.00	32940.97	**32940.97**	0.00	66765.39	**66765.39**	0.00	123307.85	**123307.85**
	(भारित)	0.00	0.55	**0.55**	0.00	5.00	**5.00**	0.00	5.00	**5.00**	0.00	5.00	**5.00**
2	4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
3	4225- अनुसूचित जातियां /जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00	**0.00**
4	5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय												
	(मतदेय)	46809.45	20459.11	**67268.56**	129114.44	17684.33	**146798.77**	154331.47	34423.00	**188754.47**	161987.01	32486.91	**194473.92**
	(भारित)	271.86	0.00	**271.86**	550.00	0.00	**550.00**	550.00	0.00	**550.00**	550.00	0.00	**550.00**
5	7075- अन्य परिवहन\ सेवाओं के लिये कार्य	5000.00	0.00	**5000.00**	9900.00	0.00	**9900.00**	9900.00	0.00	**9900.00**	9956.00	0.00	**9956.00**
	महायोगः-	**52081.31**	**71797.77**	**123879.08**	**139564.44**	**50630.30**	**190194.74**	**164781.47**	**101193.39**	**265974.86**	**172493.01**	**155799.76**	**328292.77**

तालिका "क"-V

अनुदान संख्या- 83

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सड़के एवं अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)

वित्तीय आवश्यकतायें एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण

(रू0 लाख में)

क0 सं0	कार्यक्रम	वास्तविक व्यय 2004-2005			आय व्ययक का अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-06			आय व्ययक का अनुमान 2006-07		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	राजस्व लेखा 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	-	-	-	2750.00	-	**2750.00**	2750.00	-	**2750.00**	5500.00	-	**5500.00**
2	पूंजी लेखा 5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	18001.35	-	**18001.35**	31632.03	-	**31632.03**	31632.03	-	**31632.03**	53400.00	-	**53400.00**
	योग:-	**18001.35**	**0.00**	**18001.35**	**34382.03**	**0.00**	**34382.03**	**34382.03**	**0.00**	**34382.03**	**58900.00**	**0.00**	**58900.00**

तालिका - ख

अनुदान संख्या 54

लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

क्र0 सं0	मद	वास्तविक व्यय 2004-05			आय-व्ययक अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-06			आय-व्ययक अनुमान 2006-07		
		आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग	आयोजनेत्तर	आयोजनागत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	वेतन	24208.95	38.00	24246.95	24700.01	38.00	24738.01	24700.01	38.00	24738.01	25159.80	34.00	25193.80
2	02-मजदूरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.96	-	84.96
3	महगाई भत्ता	14480.00	23.18	14503.18	15067.01	23.18	15090.19	15067.01	23.18	15090.19	6415.75	8.67	6424.42
4	यात्रा भत्ता	186.99	-	186.99	195.00	0.37	195.37	195.00	0.37	195.37	241.20	0.37	241.57
5	अन्य भत्ता	2016.07	3.80	2019.87	2260.01	3.80	2263.81	2260.01	3.80	2263.81	2240.01	3.28	2243.29
6	कार्यालय व्यय आदि	470.19	-	470.19	469.04	0.65	469.69	469.04	0.65	469.69	511.56	0.65	512.21
7	0502-मजदूरी	10570.11	-	10570.11	10550.00	-	10550.00	10550.00	-	10550.00	10550.00	-	10550.00
8	0602-मजदूरी एरियर	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01
9	003-प्रशिक्षण	49.88	-	49.88	50.00	-	50.00	50.00	-	50.00	70.00	-	70.00
10	03-भूमि अध्याप्ति	70.00	-	70.00	70.00	-	70.00	70.00	-	70.00	-	-	-
11	97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं (एस0 आर0 पी0-2) के कार्यो हेतु	-	78.97	78.97	0.00	110.00	110.00	-	110.00	110.00	-	112.00	112.00
12	03-मजदूरी	-	23.17	23.17	-	35.00	35.00	-	35.00	35.00	-	35.00	35.00
13	50-महंगाई वेतन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12579.90	17.00	12596.90
	योग :-	**52052.19**	**167.12**	**52219.31**	**53361.08**	**211.00**	**53572.08**	**53361.08**	**211.00**	**53572.08**	**57853.19**	**210.97**	**58064.16**

तालिका "ग"

वित्तीय साधनों के श्रोत

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	वास्तविक व्यय 2004-2005			आय व्ययक का अनुमान 2005-06			पुनरीक्षित अनुमान 2005-06			आय व्ययक का अनुमान 2006-07		
		आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग	आयोजनागत	आयोजनेत्तर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुदान संख्या 54	52052.19	167.12	**52219.31**	53361.08	211.00	**53572.08**	53361.08	211.00	**53572.08**	57853.19	210.97	**58064.16**
2	अनुदान संख्या 55	1425.55	5434.45	**6860.00**	951.99	1819.24	**2771.23**	1890.10	1926.06	**3816.16**	2286.23	2177.19	**4463.42**
3	अनुदान संख्या 56	0.00	0.00	**0.00**	29250.00	0.00	**29250.00**	32250.00	0.00	**32250.00**	29250.00	17500.00	**46750.00**
4	अनुदान संख्या 57	9060.61	1615.44	**10676.05**	16177.38	1608.72	**17786.10**	28810.16	1608.72	**30418.88**	28389.21	2211.27	**30600.48**
5	अनुदान संख्या 58	52081.31	71797.77	**123879.08**	139564.44	50630.30	**190194.74**	164781.47	101193.39	**265974.86**	172493.01	155799.76	**328292.77**
6	अनुदान संख्या 83	18001.35	0.00	**18001.35**	34382.03	0.00	**34382.03**	34382.03	0.00	**34382.03**	58900.00	0.00	**58900.00**
	महायोग:-	**132621.01**	**79014.78**	**211635.79**	**273686.92**	**54269.26**	**327956.18**	**315474.84**	**104939.17**	**420414.01**	**349171.64**	**177899.19**	**527070.83**

(परिशिष्ट 'अ')

लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश का संगठन 2005-2006 (उत्तरांचल गठन के बाद दि0 22.12.2005 की स्थिति)

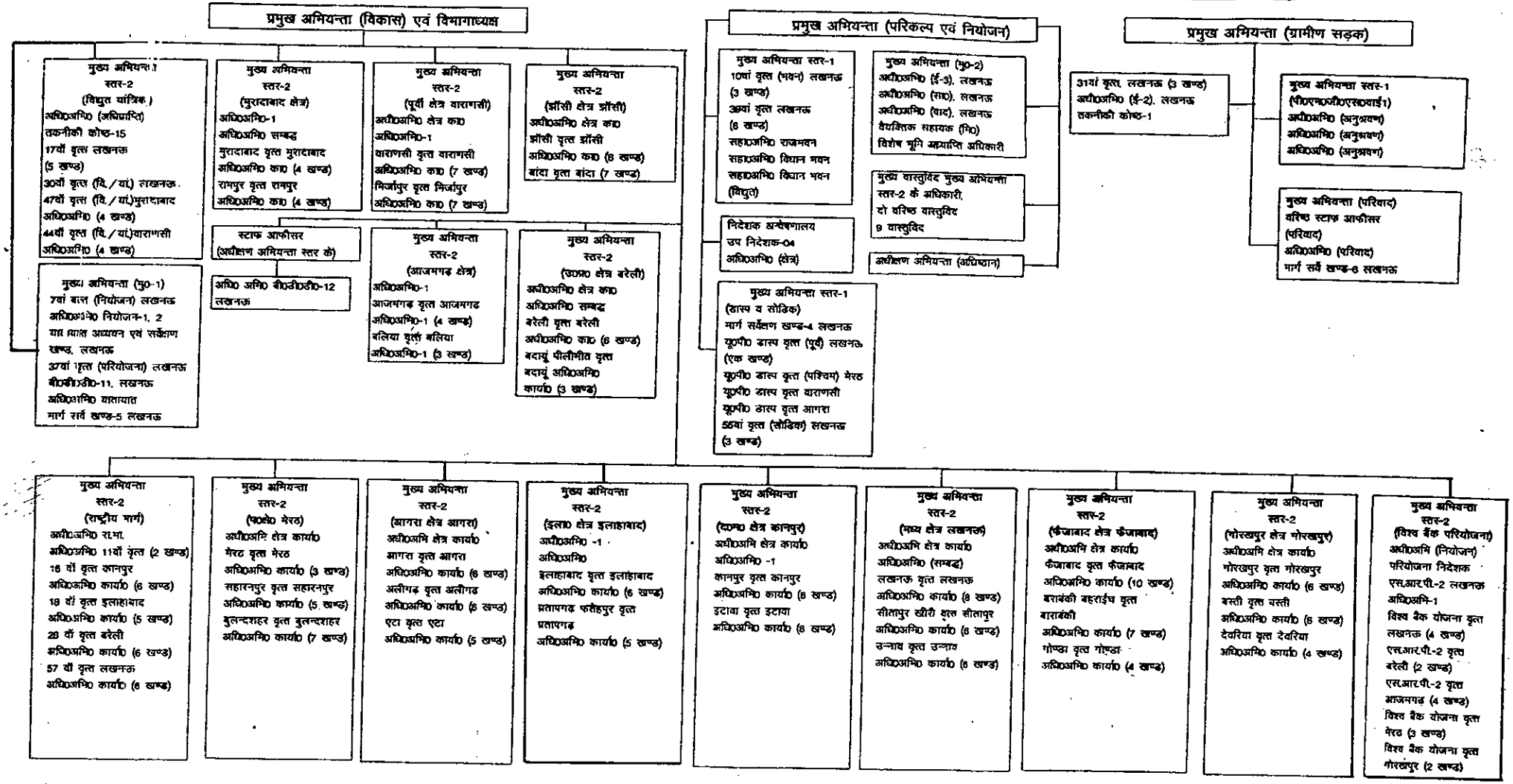

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 लोक निर्माण–2006–(3150)–1200 प्रतियां–(आफसेट)।